UPAZ010025182026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।**

**उपस्थितः कमला पति-I, एच०जे०एस० (प्रभारी सत्र न्यायाधीश)**

**(JO CODE- UP 6168)**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1042/2026**

1- परमानन्द यादव उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र मनिराम यादव

2- रमानन्द यादव उम्र लगभग 37 साल पुत्र बलिराम यादव

निवासीगण महाजी सिंघवारा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

**..... आवेदकगण/अभियुक्तगण**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी**

**दिनांक-23.03.2026**

**1-** प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. आवेदकगण/ अभियुक्तगण **परमानन्द यादव, रमानन्द यादव** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**83/2026** अन्तर्गत धारा- **420, 467, 468 भा.दं.सं.** थाना **अतरौलिया** जनपद आजमगढ़ के प्रकरण में जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/ अभियुक्तगण कारागार में निरुद्ध हैं।

**2-** जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्तगण की ओर से श्रद्धानन्द यादव द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन उसकी निजी जानकारी में सही व सच हैं। इसके अतिरिक्त कोई जमानत मा० उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं है और न ही विचाराधीन है।

**3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** वादी मुकदमा कन्हैया ने थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वादी का रमानन्द यादव जो अतरौलिया ब्लाक पर ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त थे, से परिचय था। रमानन्द यादव द्वारा बताया गया कि मेरा भाई परमानन्द जो लखनऊ में रहता है और बड़े लोगों से परिचय है, यदि आप कुल पांच लाख रूपये दे दो तो मैं तुम्हारे लड़के रणधीर यादव उर्फ मिन्टू यादव की सफाई कर्मी में नौकरी दिलवा दूंगा। तीन लाख रूपये नियुक्ति से पहले और दो लाख रूपये नियुक्ति के बाद देना पड़ेगा। रमानन्द यादव की बातों पर विश्वास करके वादी ने अपने नात रिश्तेदार व सगे संबंधियों से तीन लाख लाख जुटाकर लगभग तीन वर्ष पहले रमानन्द व परमानन्द दोनों भाई सिकन्दरपुर के पास सड़क पर नगद दे दिया। अभी तक वादी के लड़के को नौकरी नहीं मिली है तथा पैसा मांगने पर नहीं दे रहे हैं और आना कानी कर रहे हैं।

**4- आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है** कि आवेदकगण निर्दोष है और रंजिशवश अभियुक्त बना दिये गये हैं। आवेदकगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण द्वारा जमानत का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया जायेगा। प्रस्तुत मामले में जिस समय की घटना कही गयी है, उस समय सफाईकर्मी के

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2026.03.23 16:19:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लिए कोई विज्ञप्त) नहीं निकली थी। घटना का निश्चित दिनांक, समय व स्थान का कोई उल्लेख अभियोजन कहानी में अंकित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्बित है और विलम्ब का कोई यथोचित स्पष्टीकरण अभियोजन कथानक में उल्लिखित नहीं है। आवेदक रमानन्द यादव अतरौलिया ब्लाक पर ग्राम विकास अधिकारी पद पर कभी सेवारत नहीं रहा है। आवेदक रमानन्द यादव अतरौलिया ब्लाक पर मार्च 2017 से जुलाई 2018 तक ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सेवारत रहा। तदोपरान्त आवेदक रमानन्द यादव का स्थानान्तरण बाराबंकी जिले के लिए हो गया। ऐसी सूरत में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने से तीन साले पहले अर्थात वर्ष 2023 में आवेदक न तो अतरौलिया ब्लाक पर ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त रहा और न ही वादी मुकदमा से कोई बात हुई। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा-406 भा०दं०वि० में पंजीकृत हुई, जिसमें तीन वर्ष के कारावास या अर्थदण्ड या दोनो से दण्डित किये जाने की व्यवस्था है। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्येन्द्र कुमार अन्टिल वनाम सी०बी०आई० के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त आवेदकगण के गिरफ्तारी पर रोक लगा रहा था। ऐसी दशा में प्रस्तुत मामले के विवेचनाधिकारी बिना किसी साक्ष्य के धारा-467, 468 भा०दं०वि० की बढ़ोत्तरी करके आवेदकगण को गिरफ्तार कर लिये और रिमाण्ड के लिए पेश किये जिसका विरोध किया गया। ऐसी दशा में विद्वान विचारण न्यायालय ने मात्र दो दिन के रिमाण्ड का आदेश पारित किया। दो दिन बाद भी धारा-467, 468 भां०दं०वि० के सम्बन्ध में कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अत्यन्त विलम्बित प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी धारा-467, 468 भां०दं०वि० के अपराध के लिए कोई कथानक उपलब्ध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अभियोजन कथानक में धारा-467, 468 भां०दं०वि० का कोई आवश्यक तत्व की विद्यमान नहीं है। आवेदकगण आपस में सगे भाई है। आवेदक के चाचा मनिराम के पास कोई संतान नहीं है। ऐसी दशा में आवेदक परमानन्द के चाचा मनिराम ने आवेदक परमानन्द को गोद लिया है। आवेदक परमानन्द यादव विधि प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है, प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है। आवेदक परमानन्द छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिससे राजनीतिक विरोध करने वाले नाराज रहते है, उनके दबाव में प्रशासन की ओर से भी आवेदक परमानन्द पर राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करने से रोकने की बात कही गयी है। आवेदक परमानन्द के सहमत न होने पर राजनीतिक विरोधी ने साजिश करके झूठी कहानी करके झूठा मुकदमा कराकर जेल भेजवा दिया है। आवेदकगण जमानत आदेश में लगायी गयी शर्तों का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से पालन करेगे। आवेदकगण दिनांक 09.03.2026 से कारागार में निरूद्ध है। यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। इस जमानत आवेदन पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन पत्र मा० उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5- **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण प्रकरण में नामजद हैं। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को झांसा दिया गया कि यदि उसके द्वारा पांच लाख रूपया दे दिया जाता है तो उसके पुत्र की सफाई कर्मचारी में नौकरी लगवा दी जायेगी। अभियुक्तगण द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र वादी मुकदमा को देकर उससे धन प्राप्त कर लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा उक्त नियुक्ति पत्र फर्जी, कूटरचित तरीके से तैयार किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा कारित कृत्य गम्भीर प्रकृति का अपराध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र आपराधिक इतिहास न होने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

**जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों/पत्रावली का परिशीलन किया।**

**6-** प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनानुसार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा वादी के पुत्र की नौकरी लगवाने के नाम पर वादी मुकदमा से तीन लाख रूपये ले लिया गया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रारंभ में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीकृत की गयी थी, जिसमें दौरान विवेचना धारा 406 भा.दं.सं. का लोप करते हुए धारा 420, 467, 468 भा.दं.सं. की बढ़ोत्तरी की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी है किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा वादी मुकदमा के बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. में कहीं भी वादी मुकदमा ने अभियुक्तगण द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र देने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने मजीद बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उसमें प्रथम बार यह कहा है कि रमानन्द यादव ने एक नियुक्ति पत्र भी मेरे पुत्र को दिया था, लेकिन वो नियुक्ति पत्र संबंधित विभाग वाले फर्जी बताते हुए मेरे पुत्र को भगा दिये। वादी मुकदमा द्वारा मजीद बयान में किया गया कथन इस स्तर पर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यदि उसे फर्जी नियुक्ति पत्र के संबंध में प्रारंभ से ही जानकारी थी, तो उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अपने प्रारंभिक बयान में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उसे यह जानकारी प्रारंभ में ही हो गयी थी कि नियुक्ति पत्र फर्जी है तो उसके द्वारा वर्ष 2023 के पश्चात इतने लंबे समय तक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत क्यों नहीं करायी गयी। उक्त तथ्यों से प्रथमदृष्टया बचाव पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को बल मिलता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 09.03.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगना संभाव्य है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस स्तर पर ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है जिससे यह पाया जाता हो कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने से उनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया जायेगा अथवा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित किया जायेगा। उक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

**7-** इस आदेश में मुकदमे के गुणदोष पर की गयी टीका-टिप्पणी जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु की गयी है जिसका मुकदमे के विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**8-** अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदकगण/अभियुक्तगण **परमानन्द यादव, रमानन्द यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुबलिग **1,00,000/-** (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/ न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

**1.** आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होंगे अथवा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

**2.** आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेंगे तथा साक्षियों से प्रतिपरीक्षा पर कोई स्थगन नहीं प्रस्तुत करेंगे।

**3.** आवेदकगण/अभियुक्तगण जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेंगे तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देंगे।

**4.** आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होंगे तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

**दिनांक-23.03.2026**

**(कमला पति-I)**
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।